

02-1-25 पञ्जावली पेशा वादी अधिवक्ता (उपाधित नहीं) /
प्रकरण खासिक कोर्ट में साक्ष्यवादी हेतु ऑर्डर
21.11.25 को पेश की



21-1-25 पञ्जावली पेशा / पीठासीन अधिकारी सि.पिन
डार (512) से एपल होने से पञ्जावली डिमांड
01-12-25 को पेश हो



01-12-25 पञ्जावली पेशा वादी अधिवक्ता (उपाधित नहीं) /
साक्ष्यवादी (उपाधित नहीं) प्रकरण में साक्ष्यवादी
हेतु ऑर्डर इवसट रिफा काकल पञ्जावली
डिमांड 16.01.26 को पेश की



16-1-26 पञ्जावली पेशा वादी अधिवक्ता अनुपस्थित /
वादी को बार-बार सिपिनत आवाजे मिलवाई जाने
पर भी वादी की ओर से कोई धाजिर नहीं आया
वादी व वादी अधिवक्ता का आग्रह समग्र तर्क इंतजार
किया गया। लिहाजा ग्रह बाद दंतगीत द्वारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी व वादी अधिवक्ता
को अदम धाजरी एवं अदम पेशी में खरिज किया
जाता है। पञ्जावली नम्बर से काम हो


उपखण्ड अधिकारी एवं
गट्टेन सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा